2.1.2 Number of actual students admitted from the reserved categories year wise during last five years (Exclusive of supernumerary seats)

Content

Sr. No.	Particulars	Page No.
1.	Content	01
2.	Admission Reservation Policy of UP Government	02-04
3.	Admission Brochure of college (Page No. 06)	05-31

The U.P. Admission To Educational Institutions (Reservation For Scheduled Castes, Scheduled Tribes And Other Backward Classes) Act, 2006

(U.P. Act No. 23 of 2006)

C1966

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

Received the assent of the Governor on September 7, 2006 and published in the U.P.

Gazette, Extraordinary, Part I, Section (Ka) dated 8th September, 2006.

An Act to provide for the reservation in admission to educational institutions including private educational institutions, whether aided or unaided by the State, other than the minority educational institutions referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India, in favour of the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizen and for matters connected therewith or incidental thereto.

It is hereby enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows :-

 Short title and commencement: - (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Admission to Educational Institutions (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act. 2006.

(2) It shall be deemed to have come into force on July 10, 2006.

Object & Reasons >

- Applicability. This Act shall apply to all admissions taking place in Educational Institutions, including Private Educational Institutions, whether aided or unaided by the State, other than the Minority Educational Institutions referred to in clause (1) of the Article 30 of the Constitution of India.
- 3. Definitions, In this Act, unless the context otherwise requires, -
 - (a) "academic year in relation to an admission" means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calendar year within which the process of admission is initiated;
 - (b) "aided institution" means a private educational institution, excluding minority institution, receiving recurring grants-in- aid or financial assistance in whole or in part from the State Government or from any body under the control of State Government disbursing grants-in-aid or financial assistance;
 - (c) "general candidate" means a candidate selected on the basis of merit on an unreserved seat;
 - (d) "Head of the Institution" means the President or the Manager or the Secretary of a society running the institution and includes the Director, the Principal or any Administrative Head of the institution;
 - (e) "educational institution" means, -
 - (i) a college or a school or an institution, by whatever name called, imparting education approved or recognized by a competent Statutory Body and affiliated to a State University, including a Private University established or incorporated by an Act of the State Legislature or a constituent unit of a deemed to be University defined under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 imparting education.
 - (ii) a college or a school or an institution, by whatever name called, imparting professional courses, approved or recognized by the Competent Statutory Body leading to the award of a degree, diploma or a certificate, by whatever name called.

- (f) "Other Backward Classes or citizens" means the Other Backward Classes or citizens specified in the Schedule-I to the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994;
- (g) "Private Institution" means an educational institution not established or maintained by State Government or any Public Body;
- (h) "Professional Course" means a course of study notified as a professional course by the Competent Statutory Body leading to the award of a degree, diploma or certificate by whatever name called;
- (i) "Reserved Seat" means a seat reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizens;
- "Sanctioned Intake" means and implies the total number of seats sanctioned by an authority notified by the State Government for admitting students in each course of study in an Institution;
- (k) "State University" means a University established or incorporated by an Act of the State Legislature;
- "Unaided Institution" means a private Educational Institution, not being an Aided Institution;
- (m) "Unreserved Seat" means a seat other than reserved seats.
- 4. Reservation in favour of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes. -(1) in admission to educational institutions including private educational institutions referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India there shall be reservation at the stage of admission in the following percentage of sanctioned intake to which admission is to be made in favour of person belonging to Scheduled Castes. Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizens, in the academic year. -
 - (a) in the case of Scheduled twenty-one per cent Castes
 - (b) in the case of two per cent Scheduled Tribes
 - (c) in the case of Other twenty-seven per cent. Buckward Classes of citizen
 - (2) In respect of any academic year if any vacancy reserved for any category of persons under sub-section (1) remains unfilled, another special admission drive shall be made to fill such vacancy from amongst the person belonging to that category.
 - (3) If in the special admission drive referred to in sub-section (2) suitable candidates belonging to the Scheduled Tribes are not available to fill the vacancy reserved for them such vacancy shall be filled by persons belonging to the Scheduled Castes.
 - (4) Where due to non-availability of suitable candidates any of the seats reserved under sub-section (1) remains untilled even after special admission drive referred to in subsection (2), or sub-section (3), then such vacancy shall be filled by any other suitable candidate, on the basis of merit.
 - (5) If a person belonging to any of the categories mentioned in subsection (1) gets selected on the basis of merit as a general candidate, and if he wants to remain as a general

candidate, then he shall not be adjusted against the vacancies reserved for such category under sub-section (1).

- 5. Responsibility and powers for compliance of the Act. The State Government may, by a notified order, entrust the Head of the Institution or any officer or employee of the Institution with the responsibility of ensuring the compliance of the provision of this Act.
- 6. Penalty and withdrawal of affiliation. (1) Any Head of the Institution or any officer or employee of the institution entrusted with the responsibility under Section 5 wilfully acts in a manner intended to contravene or defeat the purpose of this Act shall be punishable with imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.
- (2) No Court shall take cognizance of an offence under this section except with the previous sanction of the State Government or an officer authorized in this behalf by the State Government by an order.
- (3) An offence punishable under sub-section (1) shall be tried summarily by a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class and the provisions of sub-section (1) of Section 262, Section 263, Section 264 and Section 265 of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall mutaits mutantis apply.
- (4) Where the State Government or any officer or an authority authorised by it is satisfied that any institution has violated any provision of this Act or the rules or the orders made thereunder by the State Government, it may recommend to the appropriate statutory body for the withdrawal of the affiliation of (sic for) recognition of such institution.
- 7. Power to call for record. If it comes to the notice of the State Government that any person belonging to any of the categories mentioned in sub-section (1) of Section 4 has been adversely affected on account of non-compliance of the provisions of this Act or the rules made thereunder or the Government orders, it may call for such records from the concerned institution and take such action as it may consider necessary.
- Admission Committee. The State Government may, by order, provide for nomination
 of officers for giving representation to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other
 Backward Classes of citizen in the Admission Committee to such extent and in such
 manner as may be prescribed.
- Caste certificate. For the purpose of reservation provided under this Act, caste
 certificate shall be issued by such authority or officer as may be notified by the State
 Government and in such manner and in such form as the State Government may, by order
 provide.
- 10. Removal of difficulties. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by a notified order, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.
- 11. Protection of action taken in good faith, No suit, prosecution or any other legal proceedings shall be against the State Government or any person for anything which is in good faith done or intended to be done, in pursuance of this Act or the rules made thereunder.
- Power to make rules. The State Government may, by notification, makes rules for carrying out the purpose of this Act.
- 13. Laying of Order etc. Every order made under Section 5 and Section 9 shall be laid, as soon as may be before both the Houses of the State Legislature and the provisions of sub-section (1) of Section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.
- Repeal and saving. (1) The Uttar Pradesh Admission to Educational Institutions (Reservation for Scheduled Castes. Scheduled Tribes and Other Backward Classes)
 Ordinance, 2006 (U.P. Ordinance No. 2 of 2006) is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.


https://www.bareactslive.com/ALL/UP161.HTM?AsgxAutoDetectCookieSupport=1

क्राचार्य कारीस पीठजीव कारोज कारोडी, चन्द्रीली

सक्वडीहा पोरस् ग्रेजुएए कालेज

सकलडीहा, चन्दौली

(सम्बद्ध महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)



कुलगीत

प्रफुल्ल भतदल सा हिनमा सुरमित विराट विद्या सदन हमारा । अगाध मरिमा गरिफ तीणा निन्तदिनी का यह नेत्र तारा ।।

सावित्य संस्कृति कला त्रिवेणी में रनान नक्ष शिक्त सुरम्य बसुधा। अतुल्य मेधा के जातनवी की यहीं तसीमत अवाध धारा ॥

विभिन्न विषयी की व्यामवृष्टी खुता विधा रनातकोत्तरीया । सुरभ्य यामीण अंचलावृत्त सुरभ्य पादप का पूण प्यास ।।

> विकास जलगर से सोद्र पंकिल प्रसून-परिमल से मीलि मण्डित । उला स्मरण योग्य दिव्य पंडित श्री कमलापति का तनय दुलास ।)

प्रभुल्ल शतदल-सा रिनमा सुरभित विसाट विद्या सदन हमास । अमाध गरिमा-गरिष्ठ वीणा निनादनी का यह नेत्र तास ।।

> नोट- बी०ए०- प्रथम एवं एम०ए० सेमेस्टर प्रथम की प्रवेश सूची एवं काउन्सिलिय की संभावित िथियों की जानकारी महाविद्यालय सूचनापट्ट पर चस्पा की जाएगी ।

सकलडीहा पोस्ट ग्रेजुएट कालेज

सकलडीहा, चन्दौली

(सम्बद्ध महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)



संस्थापक प्राचार्य स्व0 पं0 राम कमल पाण्डेय जी

संस्थापक प्राचार्य स्वर्गीय पंतराम कमल पांडेय की कलम से-

उत्कृष्टता, समानता और समावेशिता ही सकलडीहा महाविद्यालय की स्थापना का सिद्धांत है, जो एक शैक्षिक पारिस्थिति की तंत्र बनाने की दिशा में महाविद्यालय परिवार के समर्पण का प्रमाण है, जो समग्र व सर्वव्यापी दृष्टि से प्रेरित है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि यहां आने वाले प्रत्येक छात्र -छात्रा का शैक्षिक सत्र उद्देश्य से भरा हो और उनके जीवन को सफल करने हेतु यह संस्थान कौशल प्रदान करे।

हमारी शिक्षा पद्धति संतुलन के दर्शन और किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को समान रूप से विकसित करने की आवश्यकता से प्रभावित हैं। सकलडीहा पीजी कॉलेज सकलडीहा चंदौली की स्थापना का उद्देश्य ऐसे युवा मस्तिष्क को तैयार करने से हैं जो अपने वातावरण के साथ तालमेल बैठाकर सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशील अनुशासित और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सदैव तैयार हो। तथा यह महाविद्यालय परिवार अनुशासन पर आधारित ज्ञान और सहानुभूति के साथ सफलता पर जोर देगा। हमारा मानना है कि महाविद्यालय में शिक्षक ही छात्र-छात्राओं के माता-पिता हैं, तथा घर पर माता-पिता ही उनके शिक्षक होते हैं और हमारे भारत भविष्य छात्र छात्रा ब्रम्हांड के छेंद्र बिंदु है। हम सब का यह दायित्व है कि हम राष्ट्र को महान बनाने में पूरी क्षमता के साथ लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तथा छात्र-छात्राओं के ज्ञान और उज्जवल भविष्य की तरफ की जा रही यात्रा को तेज और आनंद से निरंतर परिपूर्ण करेंगे!

यथोचित स्वागत वंदन ।

सकलडीहा पोस्ट ग्रेजुएट कालेज

सकलडीहा, चन्दौली

(सम्बद्ध महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)



प्राचार्य प्रो0 प्रदीप कुमार पाण्डेय

अनुशासन परिवार, समाज और राष्ट्र की आवश्यकता है, बिना अनुशासन कोई भी आगे नहीं गढ़ सकता है, अनुशासन से ही समस्याओं का समाधान है, अनुशासन में ही विकसित होता ज्ञान है।

सकलडीहा पोस्ट ग्रेजुएट कालेज के प्रवेश, परिवेश और परिशीलन को प्रतिबिम्बित करती यह विवरणिका महाविद्यालय के किया—कलापों की निर्देशिका है। प्रत्येक प्रवेशार्थी को इसका निरीक्षण करके तद्नुरूप आचरण करना अनिवार्य है। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के पाठ्यक्रम एवं अधिनियमों से अनुबद्ध इस महाविद्यालय की गरिमा और गुणवत्ता के प्रतिकृत कोई भी गतिविधि यहाँ अमान्य है। प्रवेश की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति पूर्णतः प्राचार्य के अधिकार में आबद्ध रहेगी।

सकलडीहा पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, सकलडीहा, चन्दौली : एक परिचय

व्यक्ति का सामाजिक मनुष्य बनाने में शिक्षा का सर्वाधिक महत्व है। शिक्षा वह साधन है जिसके माध्यम से सुसंस्कृत एवं विवेक सम्पन्न लोग समाज और राष्ट्र को प्रगति मार्ग पर ले जाते है तथा नागरिकों के सामुदायिक जीवन को सम्य समाज की सार्थकता की ओर गतिशील करते हैं। इस समूची प्रक्रिया में राष्ट्र के सभी सदस्यों का शिक्षित होना एक पूर्व आवश्यकता है।

यह संस्था संस्थापक 'स्व० पं० श्री राम कमल पाण्डेय जी' के सद् प्रयत्नों से सन् 1965 में 100 छात्रों से प्रारम्भ होकर वर्तमान में 2200 छात्रों तथा 45 प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों के साथ उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हुये शिक्षा जगत की प्रमुख स्तम्भ बन गयी है। दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर ने सन् 1965 में यहाँ हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, संस्कृत, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी एवं भूगोल विषयों में रनातक उपाधि के लिए पठन-पाठन की मान्यता प्रदान की।

चूँिक प्रत्येक विकासशील देश की राष्ट्रीय योजना में प्रशिक्षण की आवश्यकता को रेखांकित किया जाता है, ताकि राष्ट्र के भावी नागरिक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होकर जीवन व्यतीत कर सकें। इस संसथा के शुमचिन्तकों ने भी शिक्षा के रतरोन्नयन और प्रशिक्षण की जरूरत महसूस की। उन्होंने प्रयास किया कि शहर के प्रदूषण और कोलाहल से दूर प्रकृति के सुरम्य वातावरण में सकलडीहा से शिक्षकों के प्रशिक्षण (बी०एड०) की भी व्यवस्था की जा सके। वास्तव में यह प्रयास सराहनीय था, क्योंकि शिक्षक ही छात्र की अन्तर्वृध्यि को ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। इस औचित्यपूर्ण और न्यायसंगत तथ्य को सम्बद्धता प्रदाता विश्वविद्यालय ने सन् 19 73 में समझा और बी०एड० की कक्षा वलाने की अनुमित प्रदान की। उसी वर्ष से आज तक अपने मानक में निरंतर सुधार करते हुए महाविद्यालय ने बी०एड० के पठन पाठन में ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त की विश्वविद्यालय सबंध महाविद्यालयों के मध्य विभाग का एक विशेष स्थान बन गया।

कला एवं शिक्षा संकाय में स्नातक स्तर की शिक्षा के उपरान्त ग्रमीण छात्रों की सुविधा एवं क्षेत्रीय जनों की आकांक्षा को देखते हुए सत्र 1993–94 से भूगोल तथा 2000–01 से हिन्दी एवं राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर की कक्षा भी प्रारम्भ हो गयी। विद्या सत्र् 2017–18 से अंग्रेजी एवं समाजशास्त्र में स्नाताकोत्तर कक्षा प्रारम्भ कि गयी है। सत्र् 2018–19 से गृहविज्ञान में स्नातक स्तर की कक्षाएं एवं अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर प्रारम्भ की गयी है।

महाविद्यालय एक शरीर है, तो छात्र/छात्रायें उसके प्राण तत्व है। हम विश्वास के साथ उनसे आशा करते है कि इस महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर व अपनी बौद्धिक चेतना विकसित कर वयक्तित्व निर्माण करें ताकि परिवार समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए भावी पीढ़ी का मार्ग दर्शन कर सके। यह लक्ष्य नैतिक, सदगुण, प्रजावान एवं प्ररिश्रमी बन कर ही प्राप्त किया जा सकता है। 1974 में छात्रों की मांग पर विश्वविद्यालयों के अधिकारियों ने ध्यान दिया और महाविद्यालय को प्राचीन इतिहास, संव्यक्षित विज्ञान समाजशास्त्र और मनोविज्ञान विषयों के अध्ययन—अध्यापन की अनुमति प्राप्त हुई । 1987 में यहाँ राष्ट्रीय सेवा बोल की ईकाई संचालित करने के लिए अनुमत मिल गई, 1978 से महाविद्यालय में समय—समय पर आयोजित किये जाने का कार्यकमों, उत्सवों, गोष्ठियों एवं विद्वरजनों के व्याख्यानों आदि के द्वारा भी बोद्धिक उत्प्रेरणा कह चेष्टा की जाती रही है। प्रवेश हेत् न्यूनतम अर्हता एवं शर्ते

अधोलिखित अर्हता/शर्त पूर्ण करने पर ही रनातक प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांको तथा उपलब्ध सीटों के आधार पर अध्यक्ष को प्रवेश दिया जाता है जिसके लिए अभ्यर्थी ने आवेदन दिया हो तथा प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो ।

न्यूनतम अर्हता तथा शर्तै—

- केवल वर्तमान एवं एक वर्ष पूर्व इण्टर या समकक्ष उत्तीर्ण छात्र—छात्राएँ ही प्रवेश हेतु आवेदन पत्र भरे।
- हाईस्कूल तथा 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा के प्राप्तांकों के योग 40% अंकों सहित उत्तीर्ण अव्यक्ष है आदेश कर सकते है।
- प्रवेश परीक्षा की तिथि को अभ्यर्थी की आयु 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये ।
- कूट रचित, जाली प्रमाण-पत्रों के साथ किया गया आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा तथा ऐसे अम्पर्धी को प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने से वचित कर दिया जायेगा ।
- प्रवेश परीक्षा में शामिल होने से अम्यर्थी प्रवेश का हकदार नहीं होगा । उसे पाठ्यकम सम्बन्धी अहंता शर्ता को पूर्ण करना भी आवश्यक होगा ।
- संस्था में प्रवेश हेतु मेरिट सूची प्रवेश प्रशैक्षा प्राप्तांकों के आधार पर बनाई जायेगी।
- यदि किसी अभ्यर्थी को असावधानीवश प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की अनुमित दे दी जाती है जो न्यूनतम आंता गर्र पूरी नहीं करता है तो वह बाद में आधार बनाकर यह दावा नहीं कर सकेगा कि वह अर्हता शर्ते पूरी करता है/करती है।
- प्रत्येक विषय की सीटें निर्धारित है। निर्धारित सीटें भर जाने के पश्चात उस विषय में प्रवेश नहीं मिलेगा, अन्य विषयों में ही प्रवेश संभव होगा।
- इस महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी किसी अन्य शिक्षण संस्था के किसी भी पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं ले सकेंगे । यदि ऐसा करता हुआ कोई भी प्रवेशार्थी संज्ञान में आया तो इस संस्था से निष्कासित कर दिया जावेगा
- महाविद्यालय किसी भी समय किसी प्रवेशार्थी का प्रवेश निरस्त/मना करने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा प्रवेश नियमों में परिवर्तन अथवा संशोधन कर सकता है ।
- 11. महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले प्रवेशार्थियों का प्राप्तांकों के आधार पर निर्मित श्रेष्ठता सूची के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा । आरक्षित व्यवस्था में प्रतिमान नहीं होगा । विश्वविद्यालय हाल निर्धारित संस्था के अनुसार ही प्रवेश होगा ।
- 12. प्रवेश में सम्मिलित सभी प्रवेशार्थी निम्नलिखितसामान्य अंक लाभ में से कोई एक अंक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। क— अनुसूचित जाति, अनु0 जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कमश: 21 प्रतिशत, 2 प्रतिशत एवं 27 प्रतिशत (कुल 50 प्रतिशत) स्थान आरक्षित है। आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रदान प्रदत्त प्रमाण पत्र संत^ल करना आवश्यक होगा। प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा।
 - व <u>5 अंक लाभ एन० सी० की वी प्रमाण पत्र धारकों को जिन्हों</u>ने इस आशय का प्रमाण-पत्र ^{प्रस्}तुत कि हैं विया जायेगा ।
 - ग— 10 अंक लाम एन0 सी0 सी0 के 'सी' प्रमाण पत्र धारकों को जिन्होंने इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत क्रिडी है, दिया जायेगा ।
 - कालेज के पूर्ण कालिक अध्यापकों एवं कर्मचारियों के आश्रितों (पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, वधू, सगा एवं संगी
 बहन) को भी सुविधा देय होगी।

- राज्य स्तर के उत्कृष्ट कोटि के खिलाड़ियों को 10 प्रतिशत अंक लाम मिलेगा परन्तु इस आशय का प्रमाण पत्र प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
- वशिक्षा आवदन पत्र विकलांग अभयर्थी अंक श्रेष्ठता सूची में न आने पर भी उ०प्र० राज्य सरकार के नियमानुसार प्रवेश पा सकेंगे किन्तु उन्हें विकलाग अनवना अनिवार्य है । विकलांग अभ्यर्थी को विकलांगता प्रमाण पत्र के साथ जनपद के मुख्य न्यूनतम् अप आ प्रमाण वत्र परतुतं करना होगा कि वे ऐसे संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं है जिससे चिकित्साधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र परतुतं करना होगा कि वे ऐसे संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं है जिससे अन्य छात्रों में फेलने की समावना हो ।
- अन्य छात्रा न पर विशेष परिस्थितियों यथ आवेदकों की संख्या कम होने पर महाविद्यालय बिना प्रवेश परीक्षा आयोजित किये हाईस्कूल 13. एवं इण्टरमीडिएट (अथवा समकक्ष) के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट बनाकर प्रवेश पूर्ण कर सकता है। एवं इन्टरनार स्नातकोत्तर स्तर पर विषयवार प्रवेश समिति का गठन किया जाता है। यह समिति सम्बन्धित विषय में प्रवेश हेत्
- 14. आवश्यक दिशा निर्देश जारी करती है।
- _{बी0} एड0 कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जायेगा । विश्वविद्यालय से 15. प्राप्त सूची के अनुसार शासनादेश के तहत प्रवेश कार्य बी०एड० प्रवेश समिति द्वारा सम्पन्न होगा । प्रावार्य का निर्णय अन्तिम होगा।
- _{नोट :}- इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी जहाँ यह पता चले कि कोई अभ्यर्थी अनुचित साधन का प्रयोग करने के कारण दण्डित किया गया है या किसी शिक्षण संस्था से निष्कासित किया गया है, वहाँ महाविद्यालय के प्राचार्य ऐसे अन्यर्थी को विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के बिना प्रवेश देने से इंकार कर सकते हैं । ऐसे किसी भी अभ्यर्थी का बिना कुलपति की अनुमति के प्रवेश स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

प्रवेश प्रक्रिया के सामान्य नियम

- प्रवेशार्थी महाविद्यालय के सूचना पट्ट से अपने प्रवेश की तिथि आदि की जानकारी प्राप्त करें तथा निघारित तिथि को प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपने अमिलेखों (मूल प्रमाण पत्रों) का सत्यापन करायेंगे। प्रवेशायीं के सभी अमिलेख पूर्णतः सही पाये जाने पर उसे प्रयेश की अनुमति दी जायेगी जिसके आधार पर निर्धारित तिथि के अन्दर शुल्क जमा करना पढेगा।
- यदि कोई प्रवेशार्थी समिति के समक्ष निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होता है अथवा उपस्थित के समय अपने वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति नहीं प्रस्तुत करता अथवा निर्धारित तिथि को शुल्क नहीं जमा करता है तो उसे प्रवेश के अधिकार से वंचित कर दिया जायेगा तथा श्रेष्ठता सूची में उसके बाद आने वाले प्रवेशार्थियों को प्रवेश का मौका दिया जायेगा।
- महाविद्यालय में पहली बार प्रवेश लेने वाले सभी छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय में नामांकन करना पड़ता है। इसके लिए स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र लाना अनिवार्य है । इण्टरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षा उत्तीर्ण छात्र को अपने पूर्व संस्था अर्थात जहाँ से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो , का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र लाना चाहिए ।
- महाविद्यालय के शुल्क काउण्टर पर निर्धारित पूर्ण शुल्क जमा करने पर रसीद एवं परिचय पत्र प्राप्त होगा। परिचय पत्र पर अपना फोटो लगाकर अनुशासनाधिकारी से प्रमाणित करा लें , परिचय पत्र बड़ी सावधानी से रखना चाहिए। इसके खो जाने पर काउण्टर पर रू० 35/— मात्र जमा करने पर द्वितीय प्रति प्राप्त की जा सकती है।
- परिचय पत्र प्रस्तुत करने पर पुस्तकालय से निश्चित अवधि (15 दिन) के लिए पुस्तक मिलती है। प्रत्येक छात्र/छात्रा को पुरतकालय से ली गयी पुस्तकें निर्धारित अवधि के मीतर जमा करनी होती है। ऐसा न करने पर निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रतिदिन के हिसाब से अर्थ दण्ड देय होगा ।
- विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी विश्वविद्यालय के नियमों एवं परिनियमों के अनुसार केवल भूतपूर्व छात्र के रूप में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। विश्वविद्यालय परीक्षा में न सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी भी अगले वर्ष की बी 0 ए० भाग 1/स्नाताकोत्तर प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में पुन : प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे ।
- बी 0 ए 0 की किसी भी कक्षा में किसी अन्य महाविद्यालय में प्रवेश लिए हुए छात्र का स्थानान्तरण नहीं होगा ।

5.

6.

पाठ्यक्रम स्नातक कला संकाय

महाविद्यालय की समय सारिणी एवं व्यवस्था के अनुसार बी०ए० प्रथम वर्ष सेमेस्टर पाठ्यक्रम से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार है-

मुख्य विषय (कला)	मुख्य विषय (भाषा)	गौड विषय	सहगामी पाठ्यक्रम	कोशल विकास/व्यावसायिक पाट्यक्रम
अर्थशास्त्र प्राचीन इतिहास समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र मृगोल मनोविज्ञान रक्षा अध्ययन गृहविज्ञान शारीरिक शिक्षा	हिन्दी अंग्रेजी संस्कृत	हिन्दी अंग्रेजी संस्कृत अर्थशास्त्र समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र शारीरिक शिक्षा मनोविज्ञान	प्रथम सेमेस्टर- खाद्य पोषण एवं स्वच्छता द्वितीय सेमेस्टर- प्राथमिक चिकित्सा तृतीय सेमेस्टर- मानव मूल्य एवं पर्यावरण चतुर्थ सेमेस्टर- शारीरिक शिक्षा एवं योग पंचम सेमेस्टर- विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनेस षण्ट सेमेस्टर- संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास	1- रचनात्मक क्रीशल के गांधीवादी आयाम 2- मैनेजमेंट एण्ड बेवलपमें। 3- कम्युनिकेशन निकला 4- ई-टेक्ससेशन उपरोक्त में से किसी एक की परीक्षा प्रत्येक सेमेस्टर में उत्तीर्ण करनी होगी। (स्नातक द्वितीय वर्ष तक इस तरह चारों प्रश्न पत्र वार सेमेस्टर के अनार्गत पूरा करना होगा।)

नोट-

तृतीय मुख्य विषय को स्नातक तृतीय वर्ष में छोड़ना होगा ।

प्रत्येक सेमेस्टर में एक सहगामी पाठ्यकम का अध्ययन एवं परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

 प्रत्येक सेमेस्टर में एक कौशल विकास/व्यवसायिक पाठ्यकम का अध्ययन अनिवार्य है। (स्नातक द्वितीयक् तक)

 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तृतीय वर्ष (पाँचवे एवं छठवें सेमेस्टर) में लघु शोध परियोजना पूर्व कर्लं होगी। यह विद्यार्थी द्वारा तृतीय वर्ष में चुने गये किसी एक विषय से सम्बन्धित होगी। इसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

रनातक-शिक्षा संकाय

स्नातक शिक्षा संकाय का पाठ्यकम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के पाठ्यकम के अनुसार विषय विशेष्डी की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित किया गया है ।

स्नातकोत्तर

महाविद्यालय में रनातकोत्तर स्तर पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के नियमों/पिरनियमों के अनुसार स्ववित्तपोषित व्यवस्था में मूगोल, राजनीति विज्ञान, हिन्दी, समाजशास्त्र, अथशास्त्र, अंग्रेजी विषयों का पठन-पाठन होता है।

पाठ्येत्तर कार्यक्रम

(1) महाविद्यालय में क्रीड़ा एवं खेलकूद की समुचित व्यवस्था विभागाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद की देख-^श में की जाती है। (2) महाविद्यालय में रोवर्स एवं रंजर्स की क्रमश: एक-एक इकाईयाँ कार्य करती हैं। (3) राष्ट्रीय सेवा केंडि की तीन ईकाइयों की भी व्यवस्था है, जिसमें प्रत्येक इकाई में 50 स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। (4) समय-वर्ष पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी सम्पन्न होते है तथा छात्र/छात्राओं को उत्कृष्टता क्रम में महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव में दुर्ख किया जाता है तथा प्रमाण पत्र भी दिये जाते हैं।

देय शुल्कों का विवरण

विश्वविद्यालय के वार्षिक एवं अन्य शुल्क देय होंगे। सभी शुल्क एक ही किस्त में देय होंगे। भूगोल, रक्षा अध्यय ्व मनोविज्ञान, पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को प्रयोगशाला अवधान शुल्क के रूप में 50/- रूपये आतिरिक्त देने होंगे। ्व मना। पर विश्वविद्यालय द्वारा परिवर्तित किये जाने पर शुल्क की राशि परिवर्तित की जाती है। अनुसूचित जाति समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा परिवर्तित किये जाने पर शुल्क की राशि परिवर्तित की जाती है। अनुसूचित जाति समय-संग्री एवं अनुस्चित जनजाति के छात्रों का भी शुल्क एक ही किरत में देय होगा। बी०ए० भाग 3 में पर्यटन शुल्क भूगोल तथा एवं अनु पूर्ण स्वा अध्ययन के छात्रों को देय होगा । मूतपूर्व छात्रों को परीक्षा के आवेदन पत्र को अग्रसारित कराने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देना होगा।

छात्र कल्याण शुल्क

महाविद्यालय में छात्र-कल्याण कोष की व्यवस्था की गयी है, जिसमें सम्प्रेक्षण आख्या के अनुपालन में सभी हात्र/छात्राओं को दस रूपये मात्र प्रवेश के समय देना होगा । यह कोष सरकारी आदेशानुसार छात्र/छात्राओं के हित में खर्च किया जा सकेगा।

अवधान शुल्क

महाविद्यालय छोड़ने के 6 माह के पश्चात ही सामान्यतया जनवरी से जून के बीच की अविध में दो वर्ष के अन्दर अवधान शुल्क वापस लिया जा सकता है। इस अवधि की समाप्ति के पश्चात यह धन कालेज के विकास कोष में प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है।

विद्यार्थियों को प्राप्त सुविधाएँ

पुस्तकालय

प्रायः देखा गया है कि क्षतिग्रस्त पुस्तकें पुस्तकालय में जमा करने के लिए छात्र/छात्रायें अनावश्यक रूप से आग्रह करते हैं। ऐसा कदापि न करें। ऐसी स्थिति में पुस्तक का मूल्य जमा करना ही श्रेयस्कर होगा । पुस्तकालय आपके महाविद्यालय की सम्पत्ति है। इसकी रक्षा करना एवं सुरक्षित रखना प्रत्येक छात्र/छात्रा का पुनीत कर्तव्य है। आप पुरताकलय के नियमानुसार पुरतकें प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य रूचि की भी पुस्तकें प्राप्त की जा सकती है । एक साथ दो से अधिक पुस्तकें देना सम्भव नहीं हैं। एक बार में 15 दिन के लिए ही पुस्तकें प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद पुस्तकों को अवश्य जमा कर देना होगा । जमा कर देने के बाद आवश्यकतानुसार अन्य पुस्ते अथवा उन्हीं पुस्तकों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं । इस नियम का कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक है। पुस्तकालयाध्यक्ष विशेष रिथति में किसी भी समय लॉटाने के लिए कह सकते हैं। उनके द्वारा निर्धारित तिथि ही पुस्तकें जमा करने की अन्तिम तिथि होगी। सन्दर्भ पुस्तकें केवल सम्बन्धित विषय के अध्यापक की संरतुति पर ही दी जा सकेंगी। वार्षिक परीक्षा के पूर्व सभी पुस्तकें वापस करनी होगी अथवा उनका मूल्य जमा करना होगा।

वाचनालय

महाविद्यालय में वाचनालय की भी व्यवस्था है। वाचनालय में प्रवेश पत्र दिखाकर विद्यार्थी समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का अवलोकन एवं अध्ययन कर सकते हैं।

देशाटन / पर्यटन

कला संकाय में भूगोल और रक्षा अध्ययन के छात्रों के लिए पर्यटन तथा शिक्षा संकाय के प्रशिक्षणार्थियों के लिए देशाटन/शैक्षिक संगोध्ठी आवश्यक है। इसका प्रबन्ध विषय से ही सम्बन्धित प्राध्यापक प्राचार्य की अनुमति से छात्र/छात्राओं के हित का ध्यान रखते हुए करेगें , क्योंकि यह उनके पाठ्यकम का भाग है।

शुल्क मुक्ति एवं शुल्क वापसी-

मुक्त एवं सुर्प्य ना नता. कला संकाय में छात्र—छात्राओं की फीस माफ की जाती है, शुल्क मुक्ति शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसाह कला सकाय न छात्र-छात्राजा नः । की जाती हैं। प्रायः अर्द्धशुल्क मुक्ति हो जाती है। विशेष परिस्थितियों में ही पूर्ण शुल्क – मुक्ति ही जाती है। शुल्क की का जाता है। प्रायः जबस्तुरक जुन्सा है। जाती है। यदि कोई छात्र ऐसा करता है तो दण्ड नीव शुल्क— मुक्ति प्राप्तांकों के आधार पर की जाती है। किसी अवस्था में मँहगाई शुल्क मुक्ति नहीं होती है। एक अत्र को क्ष ही आर्थिक सुविधा प्रदान की जा सकती है।

निर्धन छात्रकोष एवं छात्र कल्लाण कोष

महाविद्यालय के निर्धन छात्र/छात्राओं को जिन्हें कोई भी छात्रवृत्ति अथवा शुल्क-मुक्ति नहीं प्राप्त है, इस कोई से सहायता दी जाती है। इसके लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करके कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना होन छात्रवृत्ति एवं पुस्तक सहायता

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति के छात्र—छात्राओं को शासन द्वारा छात्रवृति, अनावर्तक अनुदान एवं पुस्तकीय सहायता दी जाती है। प्रखर बुद्धि एवं अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति शासन के नियमानुसार प्रदान की जाती है।

वार्षिक पत्रिका

सत्रान्त में महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका अनामिका छात्र/छात्राओं को दी जाती है। इसमें प्रकाशित होने बहे लेख प्राचार्य द्वारा निर्दिष्ट सम्पादक मंडल के सदस्यों के पास निर्धारित तिथि तक दिये जाने चाहिए। प्रकाशन सागापी पर्याप्त न होने पर संयुक्तांक ही प्रकाशित करना पड़ता है । प्राप्त रचनाओं को गुणवत्ता के आधार पर प्रकाशित कर्ल अथवा न करने का पूरा अधिकार सम्पादक मण्डल एवं प्राचार्य का होगा ।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र (कोड- 480 47)।

महाविद्यालय में उपयुक्त केन्द्र सत्र 2018–19 से संचालित है। जिसमें समन्यवक प्रो0 शमीम राईन है। 👫 केन्द्र में निम्न विषय उपलब्ध है।

- 1- बी० ए० 2-C.R.D. (ग्राम विकास में प्रमाण-पत्र) 3- P.G.D.R.D. ग्राम विकास में स्नातकोत्तर
- 4- M.H.D. हिन्दी में रनातकोत्तर उपाधि) 5- M.S.O. (समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि)
- 6- C.H.R. मानवाधिकार में प्रमाण-पत्र I

कैरियर काउंसिलिंग प्रकोष्ट

महाविद्यालय में कैरियर कांउसिंलिंग प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इस प्रेकोष्ठ द्वारा विमिन्न प्र^{कार की} कार्यशालायें आयोजित की जाती है।

कुलानुशासक एवं परिचय-पत्र

प्रत्येक छात्र-छात्रा का यह पुनीत कर्तव्य है कि महाविद्यालय परिसर में कुलानुशासक द्वारा हस्ताक्षरित विद्यय-पत्र के साथ ही प्रवेश करें । नियमित छात्र/छात्रा ही कक्षा में प्रवेश करें लोग जो कालेज के विद्यार्थी नहीं है। उनसे अनुरोध है कि विना कुलानुशासक या प्राचार्य की अनुमित के महाविद्यालय परिसर में प्रवेश न करें। व्यवस्था सुदृढ़ बनाने में सहयोग प्रदान करें आपका ही महाविद्यालय है। इसे प्रगित के पथ पर अग्रसर होने में सहायक बनें। कुलानुशासक द्वारा हस्ताक्षरित परिचय-पत्र ही मान्य होगा।

पुरातन छात्र प्रकोष्ठ

महाविद्यालय में पुरातन छात्र प्रकोष्ट का गठन किया गया है, जिसके द्वारा समय—समय पर संगोध्ठी आयोजित की जाती है।

अनुशासन सम्बन्धी नियम

- यदि कोई छात्र-छात्रा दुर्व्यवहार या उत्तरोत्तर कार्य विमुखता के लिए दोषी पाया जायेगा तो प्राचार्य/कुलानुशासक अपराध की प्रकृति एवं गुरुता के अनुरूप निम्न प्रकार के दण्ड दे सकते हैं –
 - अ. अर्थदण्ड
 - द. निलम्बन जो ६ सप्ताह से अधिक का होगा।
 - स. किसी अवधि कें लिए निष्कासन जो सत्रान्त से कम न होना।
 - निस्सारण- जिस वर्ष दण्ड दिया गया है उसके अतिरिक्त अधिक से अधिक दो वर्ष की अवधि का हो सकेगा।
- महाविद्यालय के किसी क्षेत्र में निरूद्देश्य इधर—उधर घमना, बरामदों में भीड़ लगाना अथवा सभाकक्ष में यत्र—तत्र दो—चार के समूह में बैठकर अमर्यादित ढ़ंग से बातें करना ।
- महाविद्यालय की किसी कक्षा या बरामदे या प्रांगण में धुमपान करना।
- महाविद्यालय भवन की दिवारों या अन्य जगहों पर पोस्टर चिपकाना या लिखना अन्य किसी तरह की स्थायी या अस्थायी विकृति जैसे नियत स्थान के अतिरिक्त और कहीं पान खाकर थूकना या कागज आदि फेंकना ।
- महाविद्यालय के मुख्य द्वार से साइकिल या मोटर साइकिल पर चढ़कर महाविद्यालय में प्रवेश करना या बाहर निकलना ।
- किसी प्राध्यापक, अधिकारी या कर्मचारी के साथ अनद व्यवहार करना तथा उसके पूछने पर अपना परिचय जैसे नाम, पता आदि न बताना ।
- महाविद्यालय सम्पत्ति को किसी भी रूप में क्षति पहुँचाना ।
- महाविद्यालय प्रागंण में ध्विन विस्तारक यंत्रों का लाना और उसका अनुचित प्रयोग करना । आदि दण्डनीय अपराध माना जायेगा ।
- कक्षा समाप्त होने के बाद कालेज परिसर में घूमना अनुशासन हीनता माना जायेगा ।
- 10. खाली समय में छात्र पुस्तकालय एवं वाचनालय में पठन—पाठन कर सकते हैं। प्रयोगात्मक सामग्रियों को छित पहुँचाने पर सामाग्री के वास्तिविक मूल्य का दूना मूल्य छात्र/छात्राओं को देय होगा तथा महाविद्यालय की सम्पत्ति, भवन, टेबुल, कुर्सी, जनरेटर, इन्वर्टर, गमले आदि को छित पहुँचाने पर अर्थदण्ड रू० 50 0/- देय होगा।

आवेदन पत्र भरने के सम्बन्ध में निर्देश

- अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र बड़े अक्षरों में बाल पेन से हस्तलेख में भरा जाना चाहिए। जहाँ भी सूचना बाक्स में लिखनी हो वहाँ एक बाक्स में एक ही अक्षर लिखा जाना चाहिए। बड़े अक्षरों में नाम लिखते समय नाम के प्रथम व मध्य शब्दों के बीच तथा मध्य एवं अन्तिम शब्दों के बीच या संक्षिप्त नाम के बीच एक बाक्स रिक्त (खाली) छोड़ कर लिखा जाना चाहिए। नाम के पहले श्री/श्रीमती/कुमारी आदि न लिखें। आवेदन पत्र पर अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पित का नाम और जन्मतिथि आदि का उल्लेख हाई रकूल प्रमाण—पत्र के अनुरूप करें। किसी प्रकार की मिन्नता पाये जाने पर उनकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।
- अभ्यर्थी स्वयं प्रमाणित अद्यतन पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ दिये गये बाक्स में विपकार्थे, स्टेपल न क्ले आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्रों की सूची
- आयु के साक्ष्य में स्वयं सत्यापित किया गया हाई स्कूल प्रमाण पत्र तथा अंक पत्र की छाया प्रति ।
- स्वयं सत्यापित इण्टरमीडिएट का अंकपत्र अथवा यदि इण्टरमीडिएट परीक्षा में शामिल हुये हो तो सम्बन्धित प्राचार्य/ केन्द्राध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रमाण—पत्र की स्वयं सत्यापित छाया प्रति ।
- जिस संवर्ग के लिए आरक्षण की माँग अथ्यर्थी द्वारा की गयी है, उसके समर्थन में सूचना पुस्तिका में उल्लिख्त
 सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित जाति प्रताण–पत्र व अन्य प्रमाण–पत्रों की स्वयं प्रमाणित छाया प्रति ।
- पिछली संस्था द्वारा मूल स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (TC)

प्रवेश परीक्षा का प्रारूप

नोट— निश्चित संख्या से अधिक प्रवेश फार्म जमा होने पर प्रवेश परीक्षा करायी जायेगी।

120 मिनट अवधि का 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का एक प्रश्न-पत्र होगा जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य मानसिक योग्यता, सामाजिक विज्ञान, राष्ट्रीय सुरक्षा, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, साहित्य तथा सामान्य विज्ञान से सम्बन्धित प्रश्न होंगे।

प्रवेश परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर देने की विधि

- परीक्षा के प्रारम्भ में प्रश्न पुस्तिका दी जायेगी।
- प्रश्न पुरितका मिलने के 10 मिनट के अन्दर ही परिक्षार्थी को आश्वरत हो जाना चाहिये कि उनके प्रश्न पत्र में सभी पृष्ठ मौजुद हैं और कोई भी प्रश्न छूटा नहीं है। पुरितका दोषयुक्त पाये जाने पर इसकी तत्काल सूचना कक्ष निरीक्षक को देकर दूसरी पुरितका प्राप्त कर लेनी चाहिए।
- परीक्षार्थी को अपना अनुक्मांक प्रश्न पत्र के निर्दिष्ट स्थान पर काले बाल पेन से लिखना होगा ।
- 4. प्रत्येक प्रश्न के वैकल्पिक उत्तर 1,2,3, य 4 होंगे। परीक्षार्थी उनमें जिसे सही उत्तर समझता है उसे उस विकल्प का चयन करना है तथा उसके सम्मुख बने खाने () में सही का चिन्ह () लगाना है। उदाहरण- यदि प्रश्न संख्या 4 के वैकल्पिक उत्तरों (1),(2),(3) में से परीक्षार्थी सही उत्तर के लिए (2) विचन करता है, तो उसे पुस्तिका में विकल्प संख्या (2) के सामने बने खाने पर सही का चिन्ह () लगाना है।

_{मूल्यांकन} एवं परीक्षाफल

- पूर्व्यावार । प्रवेश पश्रेता में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविल्पीय प्रश्नों के सही उत्तर के लिए 2 अंक प्रवान किये जायेंगे तथा जिन प्रश्नों को नहीं किया गया है उन पर शून्य अंक प्रवान किये जायेगें ।
- अ^{भ्याभी} का चयन प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर होगा यदि वह न्यूनतम योग्यता कि अर्हता पूर्ण करता है।
 - शमान इन्डेक्स होने पर अधिक आयु वाले अध्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

प्रवेश प्रक्रिया

प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ हो जायेगी । परीक्षाफल महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर निश्चित तिथि को देखा जा सकता है ।

महाविद्यालय परिवार कला संकाय

प्रो	प्रदीप कुमार पाण्डेय	प्राचार्य	
1.	प्रो० प्रमोद कुमार सिंह	प्रोफेसर	अंग्रेजी
2.	प्रो० दयानिधि सिंह यादव	प्रोफेसर	हिन्दी
3.	प्रो0 उदय शंकर झा	प्रोफेसर	संस्कृत
4.	प्रो0 इन्द्रदेव सिंह	प्रोफेसर	अर्थशास्त्र
5.	प्रो0 विजेन्द्र सिंह	प्रोफेसर	रक्षा अध्ययन
6.	प्रो० शमीम राईन	प्रोफेसर	राजनीति शास्त्र
7.	प्रो० रजनीश कुवंर	प्रोफेसर	रक्षा अध्ययन
8.	श्री संदीप कुमार सिंह	असि० प्रो०	भूगोल
9.	डॉ० राजेश कुमार यादव	असि० प्रो०	बी०एड०
10.	डॉ० अजय कुमार सिंह यादव	असि० प्रो०	बी०एड०
11.	डॉ० इन्दजीत सिंह	असि० प्रो०	बी0एड0
12.	प्रो० महेन्द्र प्रताप सिंह	प्रोफेसर	भूगोल
13.	श्री यज्ञनाथ पाण्डेय	असि० प्रो०	हिन्दी
14.	डॉ ० सीता मिश्रा	असि० प्रो०	मनोविज्ञान
15.	डॉ० दयाशंकर सिंह यादव	एसोसिएट प्रो0	समाजशास्त्र
16.	श्री अजय कुमार यादव	असि० प्रो०	पुस्ताकालय
17.	श्री जितेन्द्र यादव	असि० प्रो०	हिन्दी
18.	श्री श्यामलाल सिंह यादव	असि० प्रो०	शारीरिक शिक्षा
19.	श्रीमती वन्दना	असि० प्रो०	मनोविज्ञान
20.	डॉ० अमन मिश्रा	असि० प्रो०	अर्थशास्त्र
	स्ववित्नपोषित	न योजनान्तर्गत कार्यप्रत	

स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कार्यरत प्राध्यापकगण

1.	डॉ० पवन कुमार ओझा	असि० प्रो०	राजनीति शास्त्र
2.	डॉ० उमेश कुमार चतुर्वेदी	असि० प्रो०	हिन्दी
3.	डाँ० अनिल कुमार तिवारी	असि० प्रो०	राजनीति शास्त्र
4.	डॉ० सुशील कुमार सिंह	असि० प्रो०	भूगोल
5.	डॉ० अमय कुमार वर्मा	असि0 प्रो0	भूगोल
6.	डॉ० विकास कुमार जायसवाल	असि0 प्रो0	भूगोल
7.	डॉ० मनीष कुमार	असि० प्रो०	समाजशास्त्र
8.	डॉ० प्रमोद कुमार पाण्डेय	असि० प्रो०	हिन्दी
9.	डॉ० प्रीतम उपाध्याय	असि0 प्रो0	समाजशास्त्र
10.	डॉ० योगेन्द्र तिवारी	असि० प्रो०	अर्थशास्त्र
11.	डॉ० मीनू श्रीवास्तव	असि० प्रो०	अर्थशास्त्र
12.	श्रीमती मीनू जायसवाल	असि० प्रो०	गृहविज्ञान
13.	डॉ० रीता वर्मा	असि० प्रो०	गृहविज्ञान

शिक्षणेत्तर वर्ग

श्री अरूण प्रकाश पाठक 1. श्री अखिलेश पाण्डेय 2. श्री दीपक कुमार दुवे 3. श्री भरत कुमार 4. श्री राहल यादव 5. श्री कविन्द्र नारायण 6. श्री संतोष कुमार सिंह 7. श्रीमती सरिता देवी 8. श्री बुजेश यादव 9. श्री आलोक सिंह 10. श्री रामधनी पाण्डेय 11. श्री कैलाश सिंह 12. श्री वार्ष्णेण प्रसाद 13. श्री मुराहू राम 14. श्री भोजू राम 15. श्री हीरालाल 16. श्री अनिल कुमार यादव 17. श्री घनश्याम राम 18. श्री विनोद कुमार यादव 19. श्री चन्द्रशेखर 20. श्री बनारसी 21. श्रीमती विजय लक्ष्मी 22. श्रीमती साधना जायसवाल 23.

कार्यालय अधीक्षक वरिष्ठ आंकिक रूटीन क्लर्क रूटीन क्लर्क रूटीन क्लर्क रूटीन क्लर्क रूटीन क्लर्क आशु लिपिक प्रयोगशाला सहायक प्रयोगशाला सहायक प्रयोगशाला सहायक प्रयोगशाला सहायक परिचारक परिचारक

स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारी

1. श्री अतुल कुमार पाण्डेय 2. श्री विनय कुमार 3. श्री शुभम सिंह 4. श्री अभय कुमार सिंह 5. श्री वुजमोहन प्रसाद 6. श्री गोविन्दा 7. श्री रामप्रकाश यादव 8. श्री श्यामलखन 9. श्री रिषम मोदनवाल 10. श्री लखन कुमार 11. श्री धर्मेन्द्र कुमार 12. श्रीश्यामसुन्दर 13. श्रीमती दीपा

श्री मैयालाल

24.

वरिष्ठ लिपिक कम्प्यूटर आपरेटर लिपिक लिपिक परिचारक सफाई कमीं गार्ड परिचारक परिचारक परिचारक कम्प्यूटर आपरेटर प्रयोगशाला सहायक बिजली मिस्त्री सफाई कमीं

चौकीदार

Department of Political Science Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi Syllabus (P.G.)

Course Name: Master in Political Science - Total Credits- 100

Semester Wise Papers (Master of Arts in Political Science)

Year	Semester	Course Code	Paper Title	Theory/ Report	Credit	Max. Marks	
1	I	MPS 101	Ancient and Medieval Western Political Thought	Theory	5	100	
		MPS 102	Theory of International Relation	Theory	5	100	
		MPS 103	Comparative Politics: Concept and Theories	Theory	5	100	
		MPS 104	Indian Political System	Theory	5	100	
		MPS 105	Research Project	Project Report	4	-	
1	11	MPS 201	Early Modern Political Thought	Theory	5	100	
	1000	MPS 202	Indian Political Thought	Theory	5	100	
		MPS 203	Principle of Public Administration	Theory	5	100	
100		Optional (Any One)					
		MPS 204A	International Relations	Theory	5	100	
		MPS 204B	State Politics in India	Theory			
		MPS 204C	Political Thoughts of Developing Countries	Theory			
		MPS 204D	Introduction to the Regions of Indo- Pacific	Theory	REPORT		
		MPS 205	Research Project	Project Report	4	100 MPS 105 + MPS 205	
1	I or II	MPS 106 or MPS 206	One Minor Elective(for students of other faculty) Nation Building and Political Process in India	Theory	4	100	
			Total Credit	(Yearl)	52	1000	

	MPS 301 MPS 302 MPS 303 MPS 304A MPS 304B MPS 304C MPS 304D	Contemporary Political Theory Political Tradition and Recent Debates Governance and Public Policy in India Optional (Any Or India's Foreign Policy Federal System of India Political Philosophy in the 20th Centaury Introduction to the Region of South	Theory Theory Theory Theory Theory Theory Theory	5 5	100		
	MPS 304A MPS 304B MPS 304C MPS 304D	Debates Governance and Public Policy in India Optional (Any Or India's Foreign Policy Federal System of India Political Philosophy in the 20th Centaury	Theory Theory Theory	5	100		
	MPS 304A MPS 304B MPS 304C MPS 304D	Optional (Any Or India's Foreign Policy Federal System of India Political Philosophy in the 20th Centaury	Theory Theory				
	MPS 304B MPS 304C MPS 304D	India's Foreign Policy Federal System of India Political Philosophy in the 20th Centaury	Theory Theory	5	100		
	MPS 304B MPS 304C MPS 304D	India's Foreign Policy Federal System of India Political Philosophy in the 20th Centaury	Theory Theory	5	100		
	MPS 304C MPS 304D	Federal System of India Political Philosophy in the 20th Centaury	Theory		1 30		
	MPS 304D	Centaury	Theory				
		Introduction to the Region of South		1100000	PAGE 1		
		Asia	Theory				
212	MPS 305	Research Project	Project	4	-		
210			Report				
V	MPS 401	Research Methodology	Theory	5	100		
		Optional (Any On	ie)				
	MPS 402A	International Law	Theory	5	100		
	MPS 402B	State Politics: Special Reference to U.P.	Theory		1		
3.5	MPS 402C	Feminist Political Theory	Theory	0/00	1100		
1133	MPS 402D	Introduction to the West Asian Countries	Theory		2 16		
2014	Optional (Any One)						
	MPS 403A	International Organization	Theory	5	100		
ALC: N	MPS 403B	Social and Political Movement in India	Theory		1		
	MPS 403C	Contemporary Social Theory	Theory	THAN	1 1915		
	MPS 403D	Traditional -Non-Traditional Security Issues in West Asia and Indo-Pacific region	Theory				
			ie)				
	MPS 404A	The state of the s		5	100		
	MPS 404B	Regional Disputes and Security	Theory		A THE		
-16	MPS 404C	Social and Political Thoughts of Ambedkar	Theory				
ALC: NO	MPS 404D	India-Indo Pacific and West Asia	Theory				
	MPS 405	Research Project	Project Report	4	100 MPS 305 MPS 405		
	Hanne	Total Coodin	(Voor 2)	48	900		
100		Total Credit	2)				
		MPS 402C MPS 402D MPS 403A MPS 403B MPS 403C MPS 403D MPS 404A MPS 404B MPS 404B MPS 404D MPS 405	MPS 402C Feminist Political Theory MPS 402D Introduction to the West Asian Countries Optional (Any On MPS 403A International Organization MPS 403B Social and Political Movement in India MPS 403C Contemporary Social Theory MPS 403D Traditional -Non-Traditional Security Issues in West Asia and Indo-Pacific region Optional (Any On MPS 404A Conflict and Peace - Resolution MPS 404B Regional Disputes and Security Issues in India MPS 404C Social and Political Thoughts of Ambedkar MPS 404D India-Indo Pacific and West Asia MPS 405 Research Project Total Credit	MPS 402C Feminist Political Theory MPS 402D Introduction to the West Asian Theory Countries Optional (Any One) MPS 403A International Organization Theory MPS 403B Social and Political Movement in India MPS 403C Contemporary Social Theory Theory MPS 403D Traditional Non-Traditional Security Issues in West Asia and Indo-Pacific region Optional (Any One) MPS 404A Conflict and Peace - Resolution Theory MPS 404B Regional Disputes and Security Theory Issues in India MPS 404C Social and Political Thoughts of Theory Ambedkar MPS 404D India-Indo Pacific and West Asia Theory MPS 405 Research Project Total Credit (Year-2)	MPS 402C Feminist Political Theory MPS 402D Introduction to the West Asian Theory Countries Optional (Any One) MPS 403A International Organization Theory MPS 403B Social and Political Movement in Theory India MPS 403C Contemporary Social Theory Theory MPS 403D Traditional -Non-Traditional Security Issues in West Asia and Indo-Pacific region Optional (Any One) MPS 404A Conflict and Peace - Resolution Theory Issues in India MPS 404B Regional Disputes and Security Theory Issues in India MPS 404C Social and Political Thoughts of Theory Ambedkar MPS 404D India-Indo Pacific and West Asia Theory MPS 405 Research Project Project 4		

Sem.	Paper	Title of Papers	Theory Project	&	Credit
1	Paper- I	English Literature from Chaucer to Shakespeare	Theory Project	&	05
	Paper- II	English Literature from Donne to Blake	Theory Project	&	05
	Paper- III	English Literature From Wordsworth to Hardy	Theory Project	&	05
	Paper- IV	Elementary Linguistics and the Structure of English	Theory Project	&	05
1	Paper-V	Twentieth Century Literature	Theory Project	&	05
	Paper-VI	Literary Criticism	Theory Project	&	05
	Paper-VII	American and Canadian Literature	Theory Project	&	05
	Paper-VIII	Indian English Literature OR	Theory Project	&	05
11	Paper-IX	Contemporary Indian English Novel New Literatures in English	70.		
	Paper-X	Contemporary Literary Theory	Theory Project	&	05
	Paper-XI	Translation: Theory and Practice	Theory Project	&	05
		OR Literature and Environment	Theory Project	&	05
)III.	Paper-XII	Post-Colonial Theory and Literature OR	Theory	&	05
	- 1/4	Subaltern Theory and Literature	Project		
	- BRIDE				

V	Paper- XIII	African and Caribbean Literature	-		
		OR CHETATURE	Theory Project	de	05
			riojeci		
		Dalit Literature			
	Paper- XIV	Indian Literature in Translation	Theory	A	00
		OR	Project	œ	05
		English Language Teaching			100
	Paper-XV				10
	Paper-AV	Women's Writing	Theory	k	05
	1	OR	Project		
		Feminist Writers			E
	Paper-XVI	Gender Studies	-		
			Theory Project	æ	05
		OR	Project		J.
		Russian Literature in Translation			

Note: As per the guidelines of the New Education Policy 2020, the students will have to submit a combined project report/dissertation done at the end of each year (i.e. II & IV Semester). Each project report/dissertation will carry 100 marks.

Post Graduated

Minor Elective - English

English Paper- Gandhi in Indian English Literature

Pol. Science - National Building and Political Process in India

Hindi - Hindi Cinema

Sociology - Basic Concept of Sociology Economics - Understanding Economics Geography - Social Media In Hindi

नोट- स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में छात्र/छात्राओं को मेजर विषय से अलग अन्य संकाय का माइनर विषय चुनना होगा ।

एम०ए द्वितीय वर्ष		नवम सेमेस्टर	अंक विभाजन		
मेजर (हिन्दी) प्रश्न पत्र	पत्र का प्रकार	क्रेडिट	लिखित	आन्तरिक मूल्यांकन	
प्रथम प्रश्न पत्र	लिखित	4 (चार)	75	25	
द्वितीय प्रश्न पत्र	लिखित	4 (चार)	75	25	
तृतीय प्रश्न पत्र	लिखित	4 (चार)	75	25	
चतुर्थे प्रश्न पत्र	लिखित	4 (चार)	75	25	
पंचम प्रश्न पत्र	लिखित + प्रायोगिक	4 (खार)	50	50	
शोध	लघु शोध	4 (चार)	100		
1011111			कुल योग	600	
		-	101		

एम०ए द्वितीय वर्ष		दशम सेमेस्टर	अंक विभाजन		
मेजर (हिन्दी) प्रश्न पत्र	पत्र का प्रकार	क्रेडिट	लिखित	आन्तरिक मूल्यांकन	
प्रथम प्रश्न पत्र	लिखित	4 (चार)	75	25	
द्वितीय प्रश्न पत्र	लिखित	4 (चार)	75	25	
तृतीय प्रश्न पत्र	लिखित	4 (चार)	75	25	
चतुर्थ प्रश्न पत्र	लिखित	4 (चार)	75	25	
पंचम प्रश्न पत्र	लिखित + प्राचोगिक	4 (चार)	50	50	
शोध	लघु शोध	4 (चार)	100		
			कुल योग	600	

शोध संबंधित निर्देश

एम०ए प्रथम वर्ष / बी०ए० चतुर्थ वर्ष		सप्तम सेमेस्टर	अंक विभाजन		
मेजर (हिन्दी) प्रश्न पत्र	पत्र का प्रकार	उडीर्स	लिखित	आन्तरिक मूल्यांकन	
प्रथम प्रश्न पत्र	लिखित	4 (चार)	75	25	
द्वितीय प्रश्न पत्र	लिखित	4 (चार)	75	25	
तृतीय प्रश्न पत्र	लिखित	4 (चार)	75	25	
चतुर्थं प्रश्न पत्र	लिखित	4 (चार)	75	25	
पंचम प्रश्न पत्र	लिखित + प्रायोगिक	4 (चार)	50	50	
			कुल योग	500	

एम०ए प्रथम वर्ष / बी०ए० चतुर्थ वर्ष		अष्टम सेमेस्टर	अंक विभाजन		
मेजर (हिन्दी) प्रश्न पत्र	पत्र का प्रकार	उडीर्क	लिखित	आन्तरिक मूल्यांकन	
प्रथम प्रश्न पत्र	लिखित	4 (चार)	75	25	
द्वितीय प्रश्न पत्र	लिखित	4 (चार)	75	25	
तृतीय प्रश्न पत्र	लिखित	4 (चार)	75	25	
चतुर्थ प्रश्न पत्र	लिखित	4 (चार)	75	25	
पंचम प्रश्न पत्र	लिखित + प्रायोगिक	4 (चार)	50	50	
शोध	लघु शोध	4 (चार)	100		
			कुल योग	600	
		Marine I and I	the state of the last	-	

नोट- स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में छात्र / छात्रा को मेजर विषय से अलग अन्य संकाय का माइनर विषय चुनना होगा। Semester Wise Paper Structure

Year	Semes	Course code	Title of the ball	Theory/ Project	Credits	Total Marks
-	ter	MGKMSOC-101	Classical Thinkers of Sociology	Theory	5	100
I	1	MGKMSOC-102	Sociology of Change and Development	Theory	5	100
			Indian Sociological Thought	Theory	5	100
		MGKMSOC-104	Contemporary Issues in India	Theory	5	100
		MGKMSOC-105		Project	4	
_			Social Research and Statistics	Theory	5	100
			Sociology of Environment	Theory	5	100
	п	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	A Sociology of India B Social Anthropology	Theory	5	100
1		MGVMSOC-204	Book Review and Viva-Voce	Theory	5	100
		MGKMSOC-205	Major Project-2 (Submit Project Report)	Project	4	50 Int 50 Pa
		MGKMSOC-206		Theory	4	100
Credits of I + II Semester					52	1000
	ım		Sociological Perspective	Theory	5	100
			A Industrial Sociology	Theory	5	100
			B Social Statistics	-		1
		MGKMSOC-303	A Social Demography	Theory	5	100
2			B Criminology and Penology			
		MGKMSOC-304	A Rural Sociology	Theory	5	100
			B Sociology of Health	Thoory		
		MGKMSOC-305	Project Work-1 (Same as Ist Semester)	Project	4	
_	IV	MGKMSOC-401	Advanced Sociological Theory	Theory	5	100
			2 A Urban Sociology		123.3	
			B Gandhian Thought and Society	Theory	5	100
			C Sociology of Education		A RES	0.0
		V MGKMSOC-403	3 A Sociology of Weaker Section			
2			B Women and Society	Theor	v 5	100
			C Sociology of Movement	Lincon	, ,	-
			The state of the s	10		100
		Commission of the Commission o	04 Practical/Viva-Voce	Practic	-	50° lot 9
		MGKMSOC-40	05 Project Work-2 (Submit Project Report)	Projec	at 4	
Credits of III + IV Semester				48	90	
Total Marks for I+II+III+IV				10	0 190	

Semester-wise Papers (Master of Arts in Economics)

-	Semester	Course	Paper Title	Theory/	Credit	Max
-	-	MEC-101	Advanced Microeconomics - 1	Report	5	Marks 100
1	,	MEC-102	Advanced Macroeconomics - I	Theory	5	100
		MEC-102	History of Economic Thought	Theory	5	100
		MEC-103		Theory	5	100
			Research Methodology and Essential Statistics	Theory	3.	100
		MEC-105	Research Project	Project Report	4	-40
1	II	MEC-201	Advanced Microeconomics -II	Theory	5.	100
		MEC-202	Advanced Macroeconomics - II	Theory	5	100
		MEC-203	International Economics	Theory	5	100
		Optional (e	Control of the Contro	Theory	5	100
		MEC-204A MEC-204E MEC-204C MEC-204E	: Demography : Industrial Economics : Agricultural Economics			
		MEC-205	Research Project	Project Report	4	100 (MEC 105 MEC 205
1		One Minor	Elective (for Students of other			100
	1	Faculty)				
	or	MEC-106		Theory	4	
	11	or MEC-206	: Understanding Economics			
			Total	Credit (Year 1)	52	
2	III	MEC-301	Development Economics	Theory	5	100
	177	MEC-302	Public Finance	Theory	5	100
		MEC-303	Quantitative Methods	Theory	5	100
		Optional (c MEC-304/ MEC-304E MEC-304C MEC-304E	A: Econometrics A: Labour Economics A: Regional Economics	Theory	5	100
		MEC-305	Research Project	Project Report	4	
2	137	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN	Environmental Economics	Theory	5	100
4	IV	MEC-401	The state of the s	Theory	5	100
		MEC-402	Gandhian Economics		5	100
		MEC-403E MEC-403E MEC-403C MEC-403E	A: Economics of Human Resource Development B: Economics of Cooperation C: Economics of Marketing	Theory		
		Optional (c MEC-404/ MEC-404E MEC-404C MEC-404I	any one) 3 : Economics of Ambedkar 3 : Economics of Transport 5 : Economic Systems 6 : Economic Systems 7 : Economics of Happiness	Theory	5	100
		MEC-405	The state of the s	Project Report	4	100 (MEC305 + MEC 405)
_	-			Credit (Year 2)	48	THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN

Total Credits = 100 (Year 1+2) Total Marks = 1900 (Semester 1+2+3+4)

DEPARTMENT OF GEOGRAPHY AND GEOINFORMATICS Faculty of Science & Technology Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith Semester Based Syllabus and Scheme of Examination (NEP-2020) (w. c. f. 2022-23)

Geography: M.A./M.Sc. 1st Year (I and II Semester)

Semester	Paper	Total Credits	Total Marks	No. of Lectures
	I-GR101: Geomorphology	4	(100)	
- 100	II-GR 102: Advanced Geography of India	1	25+75	60
I,e	III-GR103: Economic Geography	4	25+75	60
	IV-GR104: Environmental Geography	1		60
	V-GRP105: Practical Cartography and Field – Cum - Lab Work	4	25+75 25+75	120
	Project/Dissertation	4		-
	TOTAL	24		
	I-GR201:Physical Landscape	4	25+75	60
	II-GR202: Hydrology and Oceanography	4	25+75	60
	III-GR203: Geography of Resources	4	25+75	60
2 nd	IV-GR204: Basics of Remote Sensing	4	25+75	60
	V-GRP205: Practical Map Projections, Representation of Statistical Data and Aerial Photographs	4	25+75	120
	Project/Dissertation	4	100	I & II Sem. combine
	TOTAL	24		
	GRAND TOTAL	48	1100	

नोट:

- 1: विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर(प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर) में की गयी शीध परियोजना का संयुक्त परियोजना (Dissertation) जमा करेगा जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में सुपरवाइज़र एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाहय परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में किया जाएगा। इस प्रकार इस परीक्षा में कुल 08 केडिट होंगे।
- 2: विद्यार्थी प्रथम वर्ष के दोनों सेमेस्टेरों में से किसी एक सेमेस्टर में दूसरे संकाय से माइनर इलेक्टिव पेपर का चयन करेगा जो 04 केडिट का होगा एवं उसका मूल्यांकन 100 (25 + 75) अंकों में किया जाएगा।
- 3: इस प्रकार प्रथम वर्ष के दोनों सेमेस्टर मिलाकर कुल 52 क्रेडिट के होगे। प्रथम वर्ष (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर) को मिला कर कुल पूर्णाक 1100 अंकों का होगा।
- 4: प्रथम सेमेस्टर का प्रायोगिक पेपर GR 105 एवं द्वितीय सेमेस्टर का प्रायोगिक पेपर GR 205 की प्रायोगिक परीक्षाएं आंतरिक (विभागीय) एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाहय परीक्षक की उपस्थिति मैं विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में विभाग द्वारा सम्पन्न की आएगी । इसकी परीक्षा सैद्धांतिक प्रश्न पर (Theory paper) के साथ नहीं होगी।

DEPARTMENT OF GEOGRAPHY AND GEOINFORMATICS Faculty of Science & Technology Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith Semester Based Syllabus and Scheme of Examination (NEP-2020) (w.e.f. 2022-23)

(W.E.I. 2022-23)

Semester	hy: M.A./M.Sc. 2 nd Year (III & IV Semester)	Total Credits	Total Marks (100)	No. of Lectures
34	I-GR301: Climatology	4	25+75	60
	II-GR302: Geo-informatics and Geographic Information System (GIS) Applications	4	25+75	60
	III-GR303: Students are required to opt any one of the following: GR303A: Urban Geography GR303B: Population Geography GR303C: Disaster Management	4	25+75	60
	IV-GR304: Students are required to opt any one of the following: GR304A: Geography of Rural Settlementa GR304B: Geography of Tourism GR304C: Industrial Geography	4	25+75	60
	V-GRP305: Practical and Surveying	4	25+75	120
	Project/Dissertation	4		-
	TOTAL	24		
	I-GR401: Geographical Thoughts	4	25+75	60
4"	II-GR402: Research Methods & Techniques	4	25+75	60
	III-GR403: Students are required to opt any one of the following: "GR403A: Agricultural Geography GR403B: Transport Geography GR403C: Regional Planning & Development	•	25+75	60
	III-GR404: Students are required to opt any one of the following: GR404A: Geography of Rural Development GR404B: Political Geography GR404C: Population & Development		25+75	60
	V- GRP405: Study Tour and Report and Viva- Voce	4	25+75	120
	Project/Dissertation	4	100	III & IVSem. Combine
	TOTAL	24		

नोटः

^{1:} विद्याची द्वितीय वर्ष के अंत से दोनी सेसेस्टर (तृतीय एवं चतुर्च सेसेस्टर) से की गर्बी शोध परियोजना का संयुक्त Dissertation जस्त करेगा जिसका सृज्यांकन वर्ष के अंत से सुपरवाइजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वास्य परीक्षक देवारा संयुक्त कप से 100 अंकी से किया जाएगा | इस प्रकार इस वर्ष के कुल 08 क्रेडिट होंगे |

का प्रकार द्वितीय वर्ष के (तृतीय एवं चतुर्घ संसेस्टर) दोनों संसेस्टर मिलाकर कुल 48 केडिट होगा । द्वितीय वर्ष (तृतीय एवं चतुर्घ संसेस्टर) का पूर्णांक 1100 अंकी का होगा ।

^{3:} पतुर्थ संसेश्टर से विद्याची द्वारा चयलित एलेक्टिव पेपसे का कोड 400 की संख्या से उनके क्रमांक के जोड के आधार पर होगा। यथा-यदि विद्याची 5वे क्रमांक के इलेक्टिव पेपर का चवल करता है तो उसका क्षेत्र 405 हो जाएना ।



जॉच सूची

आवेदन-पत्र जमा करने से पहले अभ्यर्थी निम्नलिखित बातों की जाँच अवश्य ही कर लें।

- आवेदन-पत्र हर दृष्टि से पूर्ण है तथा घोषणा अभ्यर्थी प उसके पिता/ अभिभावक के द्वारा ही हरताक्षरित है। अपूर्ण आवेदन-पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे ।
- पासपीर्ट आकार के नवीनतम् फोटो आवेदन पत्र पर सही जगह गोंद से चिपके हैं तथा सभी स्व0 हस्ताक्षरित है ।
- आवेदन-पत्र के साथ श्रेणी (वर्ग), उपश्रेणी (उपवर्ग) आदि की उपयुक्त प्रविष्टियाँ आवेदन-पत्र में सही जगह भर दें, अन्यथा किसी भी दावेपर विचार नहीं किया जायेगा ।

काउन्सिलिंग के समय निम्निलिखित के साथ उपस्थित हीं।

- मूल प्रवेश पत्र
- हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा मूलअंक तालिका एवं प्रमाण-पत्र तथा उसकी छाया प्रतियाँ ।
- इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा मूल अंक तालिका एवं प्रमाण-पत्र तथा उसकी छाया प्रतियाँ ।
- रनातक या समकक्ष परीक्षा मूल अंक तालिका एवं प्रमाण-पत्र तथा उनकी छाया प्रतियाँ ।
- चरित्र प्रमाण–पत्र मूल प्रति ।
- स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी.सी.)/ माङ्ग्रेशन प्रमाण–पत्र मूल प्रति ।
- श्रेणी (वर्ग), उपश्रेणी (उपवर्ग), अधिभार सम्बन्धित मूल प्रमाण-पत्र एवं छाया पति ।
- निर्धारित शैक्षणिक शुल्क ।

महाविद्यालय - वन्दना

अनन्त आलोक विश्वमूर्त, सफल हमारी ये साधना हो । चलिनवाही चणवायन स्वदेश सेवा की भावना ही । हमारे जीवन के पंथ दुर्गम, बने हमारे विकास साधन । ये आत्मबल हो हमारा सम्बल, हमारे जीवन की प्ररेणा हो।